जमींदारी उन्मूलन के पूर्व जमींदार, काश्तकारों से मनमाना लगान वसूल करता था तथा सरकार एवं काश्तकार के बीच मध्यवर्ती की हैसियत से काश्तकारों का शोषण करता था। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद लोकप्रिय सरकार सत्ता में आई तथा उत्तर प्रदेश में जमींदारी के विनाश हेतु एक अधिनियम जिसे''उ0प्र0 जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम 1950'' कहा जाता है बनाया गया, जो 1–7–1952 से लागू है। इस अधिनियम द्वारा जमींदारों के शोषण से कृषकों को मुक्ति तो मिली ही साथ ही साथ निर्बल वर्ग के उत्थान के लिए निम्न व्यवस्थायें भी लागू हुई।

निर्बल वर्ग के व्यक्तियों के आर्थिकोन्नयन एवं जीविकोपार्जन के साधन उपलब्ध कराने हेतु निम्न प्रकार के आवंटन भूमि प्रबन्धक समिति के प्रस्ताव पर किये जाते है।

1– कृषि भूमि आवंटन

2– आवास स्थल आवंटन

3– मत्स्य पालन हेतु तालाब आवंटन

4– वृक्षारोपण आवंटन

5– कुम्हारी कला हेतु स्थल आवंटन

उपरोक्त सभी प्रकार के आवंटन के लिये वरीयता कम अलग–अलग है। परन्तु भूमि प्रबन्धक समिति के प्रस्ताव से लेकर उपजिलाधिकारी/तहसीलदारों की स्वीकृति तक की प्रकिया सामान्य है। प्रत्येक के संबंध में पात्रताओं का विवरण निम्नवत् हैः–

कृषि भूमि आवंटन हेतु पात्रता कम

1–भारत की सशस्त्र सेना में रहते हुए शत्रु आकमण के समय युद्ध करते हुए वीर गति प्राप्त किये सैनिक की भूमिहीन विधवा पुत्र अविवाहित पुत्रियां तथा माता–पिता जो सम्बन्धित भू0प्र0स0 क्षेत्र में निवास करते है।

2–भारत की सशस्त्र सेना में रहते हुए शत्रु आकमण के कारण अक्षम हुआ सैनिक/व्यक्ति जो सम्बन्धित भू0प्र0स0 क्षेत्र में निवास करते है।

3–सम्बन्धित भू0प्र0स0 क्षेत्र में निवास करने वाले अनुसूचित जाति/जनजाति के भूमिहीन खेतिहर मजदूर।

4–सम्बन्धित भू0प्र0स0 क्षेत्र में निवास करने वाले अन्य जाति के भूमिहीन खेतिहर मजदूर।

5–सम्बन्धित भू0प्र0स0 क्षेत्र में रहने वाले ऐसे भूमिधर या आसामी जिनके पास 3.125 एकड से कम भूमि है।

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

6–सम्बन्धित भू0प्र0स0 क्षेत्र में रहने वाला भारत की सशस्त्र सेना का सेवानिवृत्त सैनिक जो अधिकारी वर्ग से भिन्न सेवा में रहा हो तथा भूमिहीन हो।

7–सम्बन्धित भू0प्र0स0 क्षेत्र में रहने वाला भूमिहीन स्वतंत्रता संग्राम सेनानी जिसे राजनीतिक पेंशन न मिलती हो।

8–सम्बन्धित न्याय पंचायत में रहने वाला अनुसूचित जाति/ जनजाति का भूमिहीन खेतिहर मजदूर।

<u>जमीदारी विनाष अधिनियम की धारा 198(उपधारा–1) में परिवर्तन</u>

ग्राम सभा की भूमि के आवंटन में अन्य पिछडी जातियों और गरीबी की रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले सामान्य श्रेणी के व्यक्तियों को असंक्रमणीय अधिकार वाले भूमिधर के रूप में या आसामी के रूप में भूमि के आवंटन के लिए उसी श्रेणी में अधिमान्ता क्रम में सम्मिलित कर दिया गया है जिस श्रेणी में अनुसूचित जातियों / अनुसूचित आदिम जातियों के व्यक्ति है। इस प्रकार धारा 198 (1) के बिन्दु 3 में दी गयी पात्रता क्रम में अनुसूचित जातियों / आदिम जातियों के साथ अन्य पिछडे वर्गों या गरीबी रेखा के नीचे जीवनयापन करने वाले सामन्य श्रेणी के व्यक्ति भी भूमि आवंटन के लिए पात्र होगे।

<u>आवास स्थल आवंटन हेतु पात्रता क्रम</u>

1–सम्बन्धित गांव में निवास करने वाला अनुसूचित जाति/जनजाति का खेतिहर मजदूर तथा ग्रामीण शिल्पकार।

2–सम्बन्धित गांव में निवास करने वाला अन्य खेतिहर मजदूर/ग्रामीण शिल्पकार।

3–सम्बन्धित गांव में निवास करने वाला अनुसूचित जाति/जनजाति का कोई अन्य व्यक्ति।

आवास स्थल हेतु भूमि के आवंटन के लिए अन्य पिछडी जातियों, गरीबी की रेखा के नीचे जीवनयापन करने वाले सामान्य श्रेणी के व्यक्तियों और विकलांग व्यक्तियों को उसी श्रेणी में सम्मिलित किया गया है जिस श्रेणी से अनुसूचित जातियो / अनुसूचित आदिम जातियों के व्यक्ति है। यह परिवर्तन शासन के सूचन 23 अगस्त,2004 द्वारा प्रभावी हुआ है।

<u>कुछ शब्दों का स्पष्टीकरण</u>

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

भूमिहीनः—

भूमिहीन से तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है, जिसके पति /पत्नी तथा अवयस्क बच्चों को मिलाकर भूमिधर या आसामी के रूप में कोई भूमि न हो तथा आवंटन से दो पूर्वगामी वर्षो में भी कोई भूमि न हो।

खेतिहर मजदूर

खेतिहर मजदूर से तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है, जिसकी जीविका का मुख्य स्रोत खेती सम्बन्धी मजदूरी हो।

ग्रामीण शिल्पकार

ग्रामीण शिल्पकार से तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है, जिसके पास कोई कृषि योग्य भूमि न हो तथा जीविका का मुख्य स्रोत कृषि सम्बन्धी परम्परागत औजारों तथा यंत्रों के निर्माण तथा मरम्मत हो, इसमें मुख्य रूप से बढई, जुलाहा, लोहार, कुम्हार, रजतकार, स्वर्णकार, नाई, धोबी, ऐसे अन्य पात्र व्यक्ति सम्मिलित है।

मत्स्य पालन हेतु तालाब आवंटन हेतु पात्रता कम

दो हेक्टेयर तक के क्षेत्रफल के तालाब, दो हेक्टेयर से बडे क्षेत्रफल के तालाबों/पोखरों,मीनाशयों के लिए । पोखरों, मीनाशये आदि के आवंटन हेतु।
पात्रता कम राजस्व अनुभाग—2 के शासनादेश सं0 3736/1—2/95—सं0—2 दिनांक 17—10—1995 के अनुसार।

वृक्षारोपण आवंटन हेतु पात्रता कम

1—संबंधित ग्राम सभा क्षेत्र में निवास करने वाले अनुसूचित जाति/जनजाति के भूमिहीन कृषि श्रमिक।

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

2– संबंधित ग्राम सभा क्षेत्र में निवास करने वाली भूमिहीन निराश्रित विधवायें।

3– संबंधित ग्राम सभा क्षेत्र में निवास करने वाले अन्य भूमिहीन कृषि श्रमिक।

4– संबंधित ग्राम सभा क्षेत्र में निवास करने वाले सीमान्त/लघु कृषक(अनुसूचित जाति/जनजाति के सीमान्त/ लघु कृषक को वरीयता दी जायेगी।

5–संबंधित न्याय पंचायत क्षेत्र निवास करने वाले अनुसूचित जाति/जनजाति के अन्य भूमिहीन कृषि श्रमिक।

कुम्हारी कला हेतु पात्रता कम

परम्परागत रूप से मिट्टी से बर्तन बनाने वाले कुम्हारी को ही कुम्हारी कला के अन्तर्गत आवटन किया जाता है।

प्रकियात्मक जानकारी

पात्र व्यक्तियों का सत्यापन एवं चयन

लेखपाल द्वारा कृषि आवंटन की दशा में पात्र एवं इच्छुक व्यक्तियों की सूची रूप पत्र 2 मे तैयार की जायेगी, जिसे वरीयता कम में जमींदारी विनाश आकार पत्र 57 क में व्यवस्थित किया जाये तथा चयनित पात्र व्यक्तियों का विवरण जमींदारी विनाश आकार पत्र 57ख में रखा जायेगा। इसी प्रकार आवास की दशा में पात्र व्यक्तियों की सूची जमीदारी विनाश आकार पत्र 49ख में वरीयता कम में तैयार की जायेगी। बैठक में यह सूची सार्वजनिक रूप से पढकर सुनाई जायेगी,तथा अनुमोदन भूमि प्रबन्ध समिति द्वारा किया जायेगा।

आवंटन की स्वीकृति

भूमि प्रबन्ध समिति की बैठक के उरान्त सचिव,भूमि प्रबन्ध समिति द्वारा उपलब्ध भूमि,पात्र व्यक्तियों की सूची सूचना मुनादी, कार्यवाही की प्रतिलिपि खतौनी का उद्वहरण एवं स्थलीय मात्रचित्र अपनी आख्या सहित कृषि आवंटन की मामलों में राजस्व निरीक्षक के माध्यम से सम्बन्धित तहसीलदार एवं आवास आवंटन के मामले से सम्बन्धित परगने के परगनाधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करेगा। जिसकी प्राप्ति पर परगनाधिकारी/तहसीलदार,जैसी भीर स्थिति हो। भूमि प्रबन्ध समिति द्वारा लिये गये निर्णयों की परनिरीक्षण करेगा,और यह समाधार हो जाने पर कि समिति का निर्णय

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

अधिनियम और तदाधीन बनाई गई नियमावली के अनुरूप है,तो कृषि आवंटन के मामले में जमींदारी विनाश आकार पत्र 57 ख पर अनुमोदन कर देगा। आवास आवंटन की दशा में सूची जमींदारी विनाश आकार पत्र 49 ख में परगने के परगनाधिकारी द्वारा अनुमोदन कर स्वीकृति प्रदान की जायेगी, तथा पटटेदारों को कब्जे दिलाये जाने के निर्देश देकर एक सप्ताह के भीतर प्रस्ताव वापिस कर दिया जायेगा। लेखपाल द्वारा जमींदारी विनाश आकार पत्र–58 में पटटा आवंटियों की सूची तैयार की जायेगी, और उनकी सार्वजनिक रूप से वितरण किये जायेगें,तथा आवासीये आवंटन की दशा में जमींदारी विनाश आकार पत्र–49च में पटटे निर्गत किये जायेगें। कृषि आवंटन की दशा में भू–अभिलेखों नामान्तरण की कार्यवाही नामान्तरण वही के माध्यम से कराई जाती है। प्रपत्र 57 ख की एक प्रति नामान्तरण वही पर इन्द्राज किया जाता है। उससे खतौनी पर अंकित करने का कार्य लेखपाल द्वारा किया जाता है। आवंटित से सम्बन्धित पत्रावलियां तहसील में रजिस्टार कानूनगों के कार्यालय में रखी जायेगी। भूमि प्रबन्ध समिति की असहमति की दशा में सकारण आदेश पारित करते हुए एक सप्ताह के भीतर प्रस्ताव वापिस कर दिया जायेगा।

आवंटन से क्षुब्ध व्यक्ति के लिए उपचार

कृषि आवंटन की दशा में जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम की धारा–198 (4) के अर्न्तगत आवेदन तथा आवास आवंटन की दशा में नियम–115 पी व धारा–122बी के अर्न्तगत क्षुब्ध व्यक्ति कलेक्टर के न्यायालय में प्रार्थना पत्र देगा।

खेती के कब्जों का विनियमितीकरण

धारा–122बी (4)एफ के अनुसार यदि अनुसूचित जाति/जनजाति का कोई व्यक्ति ग्राम सभा की ऐसी भूमि पर जो सार्वजनिक प्रयोग की नहीं हैं,दिनांक 1–5–2002 से पूर्व खेती करता चला आ रहा है तथा इस भूमि को मिलाकर परिवार में सम्पूर्ण उ0प्र0 में 3.125 एकड (5 बीघा पक्का) से कम भूमि है, तो उसका कब्जा विनियमित करते हुए उसे असंक्रमणीय भूमिधर के अधिकार दिये जाते हैं। इसके लिए उपजिलाधिकारी के यहां प्रार्थना पत्र दिया जा सकता है, लेखपाल अपनी जांच में स्वयं ही ऐसे मामलों की जानकारी होने पर तहसीलदार के माध्यम से उपजिलाधिकारी को रिपोर्ट करेगें।

आवासीय कब्जों का विनियमितीकरण

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

धारा–123(1) के अनुसार यदि (1) अनुसूचित जाति/जनजाति का भूमिहीन खेतिहर मजदूर ग्रामीण शिल्पकार। (2) अन्य जाति के भूमिहीन खेतिहर मजदूर,ग्रामीण शिल्पकार तथा (3) अनुसूचित जाति/जनजाति का कोई व्यक्ति ग्रामसभा की सार्वजनिक उपयोग की भूमि को छोडकर ग्राम सभा की अन्य भूमि पर 1–5–2002 के पूर्व से अपना मकान बनाकर रह रहा है,तो बेदखल नहीं किया जायेगा,तथा यह भूमि आबादी के रूप में वर्गीकृत कर दी जायेगी। यदि इसी प्रकार आवासीय कब्जे की भूमि किसी खातेदार के खाते की भूमि है, तो धारा–123(2) के अर्न्तगत खातेदार से उपरोक्त श्रेणी के व्यक्तियों को यदि उनका मकान 03 जून,1995 से पूर्व बना है तो बेदखल नहीं किया जा सकता,तथा ऐसे आवासीय कब्जे की भूमि भी आबादी के रूप में वर्गीकृत कर दी जायेगी। इसके लिए भी उपजिलाधिकारी के यहां आवेदन पत्र दिया जा सकता है। लेखपाल स्वयं भी ऐसे प्रकरणों की जांच करके तहसीलदार के माध्यम से उपजिलाधिकारी को रिपोर्ट करेगें।

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com